न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम, औरैया।

सत्र परीक्षण संख्या–171 सन् 2016

सरकार––––––––––––––––बनाम––––––––––राम कुमार दीक्षित आदि।

05.07.2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्ता मुन्नी देवी की और से हाजरी माफी प्रार्थना पत्र तथा अभियुक्तगणों की और से विद्वान अधिवक्ता डी0डी0 मिश्रा उपस्थित आये उनके अनुसार कागज संख्या 10ख अभियुक्तगण श्यामू दीक्षित, श्रीमति, मुन्नी देवी की और से दिया गया है, जो कि रिश्ते में मृतक के सास एवं देवर हैं। उक्त प्रार्थना पत्र में उपरोक्त अभियुक्तगण को डिस्चार्ज किये जाने की याचना की गई है। उन्मोचन प्रार्थना पत्र के अनुसार वाद में श्रीमती प्रीति पत्नी रामकुमार ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या की थी। इसके बाद उनका मृत्यु पूर्व बयान लिखा गया जिसमें मुख्य रूप से पति द्वारा मारने पीटने का आरोप लगाया गया है। इस आधार पर श्यामू दीक्षित और श्रीमती मुन्नी देवी को डिस्चार्ज किये जाने की याचना की गई है। ये बात प्रकाश में लायी गई की श्यामू दीक्षित और मुन्नी देवी का निवास स्थान पति रामकुमार से भिन्न है।

अभियोजन ने प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया है।

सुना एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। मृतिका के मृत्यु पूर्व बयान में उनके देवर श्यामू दीक्षित और सास मुन्नी देवी के घटना के समय उसके घर पर उपस्थित होने की बात कही गई है। तथा यह कहा गया है कि मृतक का पति रामकुमार आये दिन मारता–पीटता था, जिससे अजीज आकर उसने 17 जुलाई, 2014 समय 11:00 बजे स्वयं मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। अस्पताल में रामकुमार भर्ती कराकर भाग गया। मुकदमें की तहरीर प्रार्थी संजीव कुमार के द्वारा दी गई है। जिसमें कहा गया है कि प्रार्थी के द्वारा अपनी बहन श्रीमती प्रति का विवाह लगभग 13 वर्ष पूर्व ग्राम रूदौली निवास रामकुमार दीक्षित उर्फ रामू के साथ किया था। विवाह के बाद से ही रामकुमार उर्फ रामू उसका भाई श्यामू और मॉ प्रार्थी की बहन को दहेज के बाबत परेशान करते थे, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठावश किसी तरह प्रार्थी की बहन उपरोक्त लोगों द्वारा किये जा रहे अत्याचार बर्दाश्त करते हुये अपनी ससुराल में निवास कर रही थी। कुछ दिन पूर्व प्रार्थी की बहन ने फोन पर बताया था कि पति रामकुमार, देवर श्यामू और सास दहेज में पॉच लाख रूपये की मांग कर रहे हैं और दहेज के बाबत पति, सास और देवर उसे मार–पीटकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे और खाने को भोजन भी नहीं दे रहे। आज दिनांक 17 जुलाई 2014 की सुबह 11:30 बजे प्रार्थी को फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि

प्रार्थी के पति रामकुमार, देवर श्यामू और सास ने प्रीति को मार–पीटकर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी है। घटना के बाद से अस्पताल में प्रीति की ससुराल का व्यक्ति कोई भी मौजूद नहीं मिला। प्रीति के पति रामकुमार, देवर श्यामू और सास कहीं गायब हो गये हैं।

विवेचक के द्वारा उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों में विवेचना के उपरान्त सभी नामित व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र लगाया गया। अभियुक्तगणों के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को केवल इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि मृत्यु पूर्व बयान में केवल पति रामकुमार के विरूद्ध साक्ष्य है। अतः उसी को आधार मानकर ष्यामू दीक्षित और मुन्नी देवी को डिस्चार्ज किया जाए उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अभी पत्रावली पर कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कि गई है। तथा यह कि डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र केवल डी0डी0 को आधार मानकर प्रस्तुत किया गया। पत्रावली के गुण दोश पर निस्तारण हेतु ये आवष्यक है कि पत्रावली पर आरोप विरचित किये जाने के उपरान्त सभी साक्ष्य संकलित किये जाए तथा उसके उपरान्त निर्णय पारित हो। इस स्तर पर केवल डी0डी0 को आधार मानते हुए पत्रावली पर बिना किसी साक्ष्य के आये हुए अभियुक्तगणों को डिस्चार्ज किया जाना न तो न्योचित होगा न ही इसका कोई आधार है।

<u>आदेष</u>

प्रार्थना पत्र डिस्चार्ज हेतु कागज संख्या 10 ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली आरोप हेतु दिनांक 12.07.2019 को पेष हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
फास्ट ट्रैक कोर्ट–प्रथम,
औरैया।